दूर हो शैक्षणिक विषमता

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार देश के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की वार्षिक सूची में पहले की तरह केंद्रीय संस्थानों का वर्चस्व है. इसमें शामिल राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय संस्थान महानगरों और राजधानियों में स्थित हैं. इस सूची के संदर्भ में समूची शिक्षा व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) में देश के छात्रों की कुल संख्या का मात्र तीन प्रतिशत हिस्सा पढ़ता है, किंतु इन संस्थानों को 2015 से 2018 के बीच उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय आवंटन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग मिला था. शेष राशि उन 865 संस्थानों में वितरित हुई, जहां 97 प्रतिशत छात्र हैं. इनमें भारतीय विज्ञान संस्थान और विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के संस्थान भी हैं. इसी तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी बहुत अधिक आवंटन प्राप्त होता है. इन संस्थाओं की उत्कृष्टता के कारण इन्हें मेधावी छात्र और विद्वान शिक्षक भी मिलते रहे हैं. ऐसे में इन्हें शीर्ष स्थान मिलता है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. प्रश्न यह है कि सरकारों और नीति-निर्धारकों द्वारा इस असंतुलन को दूर करने का गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया जाता. बीते सालों में शिक्षा के मद में बजट आवंटन तो बढ़ा है, लेकिन सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के अनुपात में इस क्षेत्र में खर्च में कमी आयी है. पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में बताया गया था कि शिक्षा में जीडीपी का तीन प्रतिशत से भी कम खर्च किया जा रहा है. ध्यान रहे, इसमें शिक्षा के अलावा खेल, कला और संस्कृति भी शामिल है. दिसंबर, 2018 में नीति आयोग ने 2022 तक इस आंकड़े को छह प्रतिशत तक ले जाने की सलाह दी थी. इस संबंध में राज्यों, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक है, जहां शैक्षणिक संस्थान बुनियादी सुविधाओं, योग्य शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसी जगहों से पढ़े छात्र पढ़ाई और रोजगार के बेहतर मौके पाने से चूक जाते हैं. अच्छी उच्च शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थिति में भी बड़े सुधारों की जरूरत है. साल 2017 में वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्था ने 12 राज्यों में अध्ययन कर जानकारी दी थी कि इनके स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों और कक्षाओं की दरकार है. असर रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर बच्चे निचली कक्षाओं के पाठ नहीं पढ़ पाते. समर्थ शिक्षकों का अभाव भी चिंताजनक है. बीते छह सालों में केंद्रीय बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण का आवंटन 1,158 करोड़ (2014-15) से घटकर मात्र 150 करोड़ (2019-20) रह गया है, यानी इस मद में 87 प्रतिशत की कटौती हुई है. देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए हर स्तर पर ठोस उपाय हों और हजारों संस्थानों को बेहतर करने के लिए निवेश बढ़ाया जाये.

देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए हर स्तर पर ठोस उपाय हों और हजारों संस्थानों को बेहतर करने के लिए निवेश बढ़ाया जाये.

बोधि वृक्ष

योग का मार्ग

योग के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, पर योग के मार्ग पर चलने का क्या तरीका है, इस पर चर्चा कम होती है. योग कोई व्यायाम की प्रणाली नहीं है, जैसा कि आज सामान्य रूप से समझा जाता है. 'योग' का शाब्दिक अर्थ है 'जुड़ना' या 'मिलना'. लेकिन, आप के अपने अनुभव में एक आप हैं और एक ब्रह्मांड है. जब किसी भी कारण से जीवन में थोड़ी भी कड़वाहट आ जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर आप की स्थिति 'आप विरुद्ध ब्रह्मांड' की हो जाती है. आप एक गलत प्रकार के मुकाबले में उतर जाते हैं. मनुष्यों की जो भी समस्याएं हैं- उनके डर, उनकी असुरक्षा की भावना- वे इसलिए हैं, क्योंकि वे इस तरह से जीते हैं, जैसे सारा ब्रह्मांड उनके विरुद्ध हो. योग का अर्थ है कि आप जागरूकतापूर्वक अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटाते हैं. सिर्फ विचारों और भावनाओं में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से, अपने अनुभव में. आप व्यक्ति और ब्रह्मांड को एकरूप कर देते हैं. चार आयामों को विकसित करने से ये गुण आता है. तो योग, कोई सुबह-शाम किया जानेवाला अभ्यास नहीं है. इसमें अभ्यास हैं, लेकिन अभ्यासों के अलावा भी इसके अन्य आयाम हैं. आप के जीवन का हर पहलू- जिस तरह से आप चलते हैं, सांस लेते हैं, बात करते हैं- सभी कुछ उस जुड़ाव या मिलन की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया बन सकता है. ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा न बन सके. यह कोई कार्य नहीं है, यह एक विशेष गुण है. आप अगर अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को एक खास तरह से विकसित करते हैं, तो आप में एक विशेष गुण आ जाता है. यही योग है. आप अगर अपने बगीचे की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, तो वहां फूल खिलते हैं. इसी तरह अगर आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, जिसे आप 'मैं' कहते हैं, तो फिर सुंदर फूल खिलेंगे ही. इसका अर्थ यह है कि शांत, प्रसन्न, आनंदित होना आप के बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि इन चीजों को आप ही तय करेंगे.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

नव भारत निर्माण के धनस्रोत

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla
@newindianexpress.com

वादों की, न कि उपलब्धियों की सियासत का शोर वोट की बोलियां लगते इस चुनावी माहौल में चहुंओर तारी है. शायद ही कोई पार्टी हो, जो मतदाताओं को किसी न किसी रूप में रिश्वत की पेशकश न कर रही हो. इसके बावजूद, नैतिकता का दिखावा असाध्य रोग के रूप में बार-बार उभर आता है और प्रत्येक पार्टी दूसरे पर ऐसे वायदों का आरोप लगाती है, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने हर छोटे किसान के खाते में छह हजार रुपये सालाना भेजने के वायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हुए इस रकम का स्रोत बताने की चुनौती दी थी. मोदी ने उस स्रोत की तलाश कर ली. फिर जब राहुल ने अपनी रेवड़ी का बम फोड़ा, तो उसके स्रोत पर सवाल खड़े करने की बारी भाजपा की थी. कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी कि वह किसान कल्याण, स्वास्थ्य योजनाओं एवं उन अन्य वायदे पूरे करने के लिए पैसे का स्रोत बताये, जो बजट के दायरे से बाहर हैं. और अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने इस देश में एक सार्थक बहस की शुरुआत कर दी है, जो भारत की निर्धन आबादी के लिए कल्याणकारी निधि उगाहने को लेकर सरकार की क्षमता तथा उसकी भूमिका पर आधारित है.

वर्ष 2019 के आम चुनाव अधकचरे समाजवाद एवं सरकार पोषित पूंजीवाद के लुभावने घालमेल हैं. बैंकों से कर्ज लेकर पचा जानेवाले पूंजीपतियों में से जहां कुछ को छोड़ ज्यादातर अपनी कंपनियों के दिवालिया हो जाने के बाद भी खुद विलासिताभरी जिंदगी जी रहे हैं, वहीं देश के गरीब अभावपूर्ण जीवन जीने को अभिशप्त हैं. पर चूंकि वे बड़ी संख्या में वोट देने निकलते हैं, सो अभी वे सबकी आंखों के तारे बने बैठे हैं, जिन्हें लुभाने को सभी सियासतदां समृद्धि के सौदागरों का स्वांग किये फिर रहे हैं. जब यह जरूरत खत्म हो जायेगी, तो एक बार फिर वे निहित स्वार्थों के आगोश में समाकर मुट्ठीभर धन्नासेठों की तिजोरियां भरने के उपाय रचने लगेंगे. आज देश की राजनीति में दशकों बाद वह दौर आया है, जब गरीबों के मध्य मांग सृजन का बोलबाला बना है. पेश है सरकार के लिए धन के कुछ आसान और व्यावहारिक स्रोत:

स्टॉक के कारोबार पर टर्न ओवर टैक्स: भारतीय स्टॉक बाजार आय की बड़ी असमानताओं के पोषक हैं. वर्ष 1991 में जब बाजार का उदारीकरण लागू हुआ, तब से ही कंपनी प्रवर्तकों, बैंकरों, विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं सटोरियों ने इस कर मुक्त पूंजीलाभ के भरपूर फायदे उठाये हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर रोजाना तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपये के कारोबार होते हैं. पिछले लगभग 25 वर्षों से किसी भी केंद्रीय सरकार को यह साहस नहीं हुआ कि वे इस पर एक सांकेतिक कर भी लगा सकें. हालांकि, कुछ वर्षों से शेयरों से पैदा आय पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों तरह के कर जरूर लगाये गये हैं, पर वे आयकर के मुकाबले हास्यास्पद रूप से कम हैं. इनके 2.25 लाख करोड़ के कुल मासिक कारोबार पर अधिक नहीं तो केवल 0.10 प्रतिशत का अतिरिक्त कल्याण कर भी सरकार को सालाना 2.60 लाख करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय कराने की क्षमता रखता है. यदि केंद्र वायदा कारोबारों पर थोड़ा अधिक कर लगा दे, तो उसे 20 हजार करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय हो सकती है, क्योंकि वायदा में अधिकतर निवेशक सटोरिये ही होते हैं.

हर चुनाव देश के निर्धनों को भ्रमित कर जाता है. हमें एक ऐसे राजकोषीय ढांचे की बड़ी शिद्दत से जरूरत है, जो धनाढ्यों द्वारा देने और वंचितों को सशक्त करने पर आधारित हो.

डॉलर अरबपतियों पर 'नया भारत अधिभार' (सरचार्ज): नया भारत तब तक एक हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता, जब तक सरकार राजकोषीय विवेक के द्वारा अथवा धनाढ्यों से नये भारत के लिए विकासमूलक कर का भरपूर संग्रहण नहीं करती है. यहां की उदार कर प्रणाली का लाभ उठाते हुए भारतीय प्रवर्तकों ने उन कंपनियों के अपने शेयर बेचकर, जिनमें वे अथवा उनके पूर्वज कभी प्रवर्तक थे, अकूत दौलत इकट्ठा कर ली है. अभी शायद ही कोई ऐसा मूलप्रवर्तक बचा है, जिसके पास अपनी कंपनियों के स्टॉक में बहुसंख्यक शेयर हों. ऐसे उदार माहौल ने डॉलर करोड़पतियों और अरबपतियों की कतारें खड़ी कर दीं, जिनमें एक हजार से अधिक स्वदेशी एवं भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय ऐसे हैं, जिनका सम्मिलित शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा है. इनके शुद्ध मूल्य में जोड़ी जा रही हरेक दौलत पर पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से 'नया भारत अधिभार' लगना चाहिए.

विलासिता समग्रियों पर पाप कर (सिन टैक्स): खुले बाजार तथा उदार आयात नीति ने केवल एक दशक के दौरान देश में विदेशी सुपरकारों, जेटों, यातों, मनोरंजन उपकरणों, तथा महंगे ऑफिस एवं आवास साज-सज्जा जैसी विलासिता सामग्रियों एवं सेवाओं की खपत एक हजार प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ा दी. देश की सभी विमानन कंपनियों की सम्मिलित विमान संख्या से भी अधिक आज देश में निजी जेटों की संख्या है. विलासिता सामग्रियों पर आयात कर एवं जीएसटी 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. निजी जेटों के उपयोग पर एक सीमा रेखा अवश्य तय की जानी चाहिए और उसके ऊपर के उपयोग को कर दायरे में लाया जाना चाहिए.

टर्न ओवर टैक्स: भारतीय कॉरपोरेट अपने बढ़ते टर्न ओवर की शेखी बघारने का कोई मौका नहीं छोड़ते. एक निजी अध्ययन ने टर्न ओवर वृद्धि एवं कॉरपोरेट टैक्स के रूप में भुगतान की गयी रकम के बीच विपरीत संबंध उजागर किये हैं. कोई कंपनी जैसे-जैसे वृद्धि करती है, वह आंकड़ों की हेराफेरी से कर वंचना या कर बचत की प्रवृत्ति हासिल करती जाती है. अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति कमजोर होते हुए भी वे अपने टर्न ओवर के आधार पर बैंक ऋण पाने में सफल हो जाती हैं. सौ करोड़ रुपये से अधिक विक्रय करनेवाली कंपनियों पर सिर्फ एक प्रतिशत टर्न ओवर कर लगाकर भी सरकार सालाना 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व अर्जित कर सकती है.

जहां चाह, वहां राह. यदि भारत एक भेदभावरहित कर प्रणाली अपना ले, तो समग्र विकास का एक मॉडल विकसित कर पाना हमारे बूते के बिल्कुल अंदर है. हर चुनाव देश के निर्धनों को भ्रमित कर जाता है. हमें एक ऐसे राजकोषीय ढांचे की बड़ी शिद्दत से जरूरत है, जो धनाढ्यों द्वारा देने और वंचितों को सशक्त करने पर आधारित हो. जब तक सियासी पार्टियां संपदा तथा अवसरों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित नहीं करतीं, 'नया भारत' केवल एक नारा ही बना रहेगा.

(सौजन्य: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस)

रेलवे के खानपान की पेचीदगी

अभिषेक सिंह
टिप्पणीकार
abhi.romi20@gmail.com

देश का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में रेलवे पर आश्रित है, लेकिन उसकी सेवा को लेकर किसी के पास कहने के लिए शायद ही कोई सकारात्मक बात होगी. पिछले कुछ वर्षों से रेलवे की खानपान सेवा को सुधारने की कई कोशिशें होती रही हैं, पर इसे लेकर विवादों का कोई अंत नहीं दिख रहा है. मुसाफिर इसकी बढ़ती दरों और क्वॉलिटी को लेकर हमेशा ही शिकायत करते रहे हैं.

बीते 7 अप्रैल, 2019 को दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही प्रीमियम श्रेणी की राजधानी एक्सप्रेस में परोसे गये नॉनवेज खाने से करीब पांच दर्जन यात्री फूड पॉयजनिंग के शिकार हो गये. बीमार यात्रियों को दवा देकर और भोजन के नमूने लेकर आईआरसीटीसी ने परोसनेवाली एजेंसी पर कार्रवाई की बात कही, पर इसकी गुंजाइश कम है कि आगे ऐसा हादसा नहीं होगा. अतीत में कई बार ऐसा हुआ है, जब खराब नाश्ते-भोजन की शिकायत पर कैटरिंग स्टाफ अपनी गलती मानने की बजाय मुसाफिरों से ही अभद्रता पर उतर आये. हैरानी ही है कि रेल मंत्रालय ट्रेनों में दिये जानेवाले भोजन की निगरानी के जितने बड़े प्रबंधों के दावे करता है, समस्या उतनी ही बढ़ती दिखती है. नवंबर, 2018 में ऐलान किया गया था कि भोजन की क्वॉलिटी को लेकर हो रही शिकायतों को देखते हुए रेलमंत्री खुद इ-दृष्टि नामक सॉफ्टवेयर की मदद से बेस किचन पर नजर रखेंगे. इसके लिए उनके कमरे में एक बड़ी स्क्रीन लगायी गयी है, जिस पर रेलमंत्री भोजन पकते हुए देख सकेंगे. तो क्या यह माना जाये कि राजधानी एक्सप्रेस का भोजन भी उनकी नजरों से गुजरा होगा?

रेलवे की खानपान सेवा कीमतों और गुणवत्ता को लेकर विवाद नये नहीं हैं. सारी दिक्कतें लंबी दूरियों की उन ट्रेनों में हैं, जिनके रास्ते में न्यूनतम ठहराव (स्टॉपेज) होते हैं और लोगों के सामने ट्रेन में ही लगी पैंट्री कार से मिलनेवाले भोजन का विकल्प होता है. ऐसी ज्यादातर ट्रेनों में अक्सर ही यात्री यह शिकायत करते पाये जाते हैं कि भोजन की क्वॉलिटी बेहद खराब थी. भोजन में कॉकरोच निकलने जैसी घटनाएं भी आयी हैं. यह हाल तो प्रीमियम श्रेणी की राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों के खानपान का है, साधारण श्रेणी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में कैसा भोजन दिया जाता है- इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है.

साल 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विस से जुड़ी अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखी थी. रिपोर्ट में भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विस में कई अनियमितताओं पर सवाल उठाये गये थे. जैसे यह कहा गया था कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को परोसी जा रही चीजें खाने लायक नहीं हैं. वे प्रदूषित हैं और कई डिब्बाबंद व बोतलबंद वस्तुएं एक्सपायरी डेट के बाद भी बेची जा रही हैं. सीएजी के मुताबिक 2005 से भारतीय रेलवे ने तीन बार अपनी कैटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया. कैटरिंग सर्विस को पहले 2005 में आईआरसीटीसी को दिया गया था और वापस जोनल रेलवे को दिया गया था, बाद में एक बार फिर उसे आईआरसीटीसी को दे दिया गया. रिपोर्ट ने इन समस्याओं के लिए मैनेजमेंट स्तर पर लगातार हो रहे बदलाव को बड़ा कारण बताया, जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी और यात्रियों को नुकसान हुआ. उस दौरान सीएजी और रेलवे की संयुक्त टीम ने 80 ट्रेनों का मुआयना भी किया. इसमें पाया गया कि पेय पदार्थों में साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और खाने-पीने की चीजों को ढकने तक की व्यवस्था नहीं है. ट्रेनों के अंदर चूहे और तिलचट्टे पाये गये हैं. पैंट्री कार के जरिये बेची जा रही चीजों की ऊंची कीमत वसूली जाती है, जबकि उनका वजन भी तयशुदा मात्रा से कम पाया गया.

एक दौर था, जब रेलवे की कैटरिंग सेवा इतनी खराब नहीं थी और भोजन की कीमत भी अधिक नहीं थी. मुसाफिर रेलवे के संतुष्टिदायक भोजन को मानने लगे थे कि जरूरत पड़ने पर वह खाया जा सकता था और घर से भोजन बांधकर ले चलने के झंझट से बचा जा सकता था. लेकिन जब से रेलवे ने खाने का जिम्मा निजी हाथों में सौंपा है, इसका बंटाधार शुरू हो गया है. रेलवे ने भोजन व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपते समय दलील थी कि इससे भोजन की क्वॉलिटी सुधरेगी और कमजोर वर्ग को काम भी मिलेगा. रेलवे की कैटरिंग सेवा के जरिये कुछ लोगों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का रेलवे का प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें मुनाफाखोरों ने घुसपैठ कर ली, जिन्हें भोजन की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं. हाल यह है कि रेलवे की खानपान सेवा के तहत ठेका हासिल करनेवाले ठेकेदार रेल अधिकारियों को येन-केन-प्रकारेण (घूस देकर) संतुष्ट कर लेते हैं और फिर यात्रियों को भोजन मुहैया कराने के नाम पर अपने खाने-पीने की ही व्यवस्था करने लगते हैं. न तो रेल अधिकारी इसकी नियमित जांच करते हैं कि परोसा गया भोजन खाने योग्य है भी या नहीं और यदि हंगामा न किया जाये, तो इस बारे में यात्रियों की शिकायतें सुनने तक की व्यवस्था नहीं है.

राजधानी, दूरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में मिलनेवाले खाने की कीमत में बढ़ोत्तरी के बावजूद रेल यात्रियों को कोई गारंटी नहीं दी जाती कि उन्हें बेहतरीन भोजन मिलेगा और संतुष्ट नहीं होने पर वे उसकी कीमत वापस पा सकते हैं या उसकी शिकायत कर सकते हैं. जिस रेल यात्रा के सुखद होने का आश्वासन रेलवे अपने यात्रियों को देती है, यदि वह खराब और महंगा भोजन देने पर ही आमादा रहती है, तो आखिर कैसे कोई यात्रा मंगलमय और आरामदेह हो सकती है.

आपके पत्र

बढ़ती आबादी और बेरोजगारी

चुनावी मौसम में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है. लेकिन गूढ़ प्रश्न यह है कि आखिर यह कैसी बला है जो जाती ही नहीं है. यदि इस मुद्दे की जड़ तक जाएं, तो पता लगेगा कि इसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी है. पिछले सत्तर वर्षों में ऐसी कोई भी सरकार नहीं आयी, जिसने इस मुद्दे को नहीं उठाया हो और इसको गंभीरता से न लिया हो. जिस प्रकार चीन ने अपनी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं, उसी प्रकार बढ़ती आबादी को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और और इस मुद्दे को लेकर कुछ सजग कदम उठाने चाहिए. तभी बेरोजगारी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन हैं वे सीमित हैं और यदि उसी संसाधन में सुखी संपन्न रहना है, तो सरकार को बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए.

गौरी कुमारी, चुटिया, रांची

दलों में आंतरिक लोकतंत्र का न होना दुर्भाग्यपूर्ण

यूं तो सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे है. आज किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है. सभी दलों में आलाकमान संस्कृति आ चुकी है, जो कहीं से भी प्रत्याशी उठाकर स्थानीय इकाई पर थोप देता है. निचले स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को इस तुगलकी फरमान का पालन करना बाध्यकारी होता है, भले ही उम्मीदवार का चाल-चरित्र उस पार्टी से मेल न खाता हो. इसी तरह चुने हुए प्रतिनिधियों को नेता चुनने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है और कई बार तो ऐसा नेता थोप दिया जाता जिससे सब अनभिज्ञ होते हैं. इस तरह राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का लोप होना लोकतंत्र के लिए न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि गंभीर खतरा है.

ऋषिकेश दुबे, बरिगावां, पलामू

घोषणापत्र से जनता के मुद्दे गायब

सभी पार्टियां लगभग एक जैसी ही हैं क्योंकि चुनाव पूर्व ये ढेर सारे वायदे तो जरूर करती हैं, मगर दुर्भाग्य से उन्हें ही ठीक से पूरा नहीं करती. मगर अब निराश और हताश जनता की बढ़ती जागरूकता और दबाव के सामने ये थोड़ी झुकती दिखाई दे रही हैं. अभी कांग्रेस के शानदार चुनाव घोषणापत्र के बाद अब भाजपा का घोषणापत्र नहले पर दहला ही लगता है. बड़ी अजीब बात है कि देश की बड़ी समस्याओं जैसे बढ़ती जनसंख्या, अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माण और तूफानी अतिक्रमण पर ये पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं जिससे जाम, हादसे और प्रदूषण निरंतर बढ़ रहे हैं. धन, ईंधन और समय की बर्बादी आज भी जारी है. इसलिए देश के सुनियोजित विकास के लिए असंख्य अवैध कॉलोनियों के सुधार के लिए सही मापदंड भी लागू करना बहुत जरूरी है. आम जनता से जुड़े हुए इन मुद्दों पर दुर्भाग्य से कोई पार्टी सोच ही नहीं रही है. इन सभी मुद्दों को लेकर घोषणापत्र में कुछ भी नहीं कहा गया है. साफ है कि उनके लिए घोषणापत्र एक दिखावा भर है.

वेद मामूरपुर, नरेला

कुछ अलग

चुनाव मार्फत सोशल मीडिया

अरविंद दास
पत्रकार एवं लेखक
arvindkdas@gmail.com

पिछले दिनों चुनाव विश्लेषक और चर्चित टीवी पत्रकार प्रणय राय ने एक बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव (2019) को 'व्हॉट्सएप इलेक्शन' कहा. दस वर्ष पहले लोगों के बीच आपसी संवाद के लिए व्हॉट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ और देखते ही देखते 'एसएमएस' के इस्तेमाल को इसने काफी पीछे छोड़ दिया. लेकिन हाल के वर्षों में भारत में व्हॉट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कई बार झूठी खबरों (ऑडियो, वीडियो और फोटोशॉप) को इस तरह परोसा व प्रसारित किया गया कि कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी और 'मॉब लिंचिंग' में जानें गयीं.

अब व्हॉट्सएप ने एक साथ मैसेज को कई समूहों में फॉरवर्ड करने की सीमा तय कर दी है. साथ ही यदि कोई संवाद फॉरवर्ड होकर किसी के पास पहुंचता है तो संवाद पाने वालों को इस बात की जानकारी मिल जाती है. इससे संवादों, खबरों के उत्पादन के स्रोत के बारे में अंदाजा मिल जाता है. हालांकि, फेक न्यूज, दुष्प्रचार, प्रोपेगैंडा रोकने में ये पहल नाकाफी साबित हुए हैं. इसके मद्देनजर हाल ही में संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्ताधर्ताओं को तलब किया, ताकि लोकसभा चुनाव में इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलनेवाली अफवाहों और फेक न्यूज पर रोक लगे और नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जा सके. चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है.

एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में करीब 90 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से करीब 50 करोड़ के पास इंटरनेट की सुविधा है. करीब 30 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं, जबकि 20 करोड़ व्हॉट्सएप मैसेज सेवा का इस्तेमाल करते हैं. लोकसभा चुनावों के दौरान हर राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना चाह रही है. यहां व्हॉट्सएप के साथ-साथ शेयरचैट जैसे मैसेजिंग के देसी अवतारों पर भी राजनीतिक दलों की नजर है, पर यह समकालीन विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया है और ज्यादातर लोगों की नजर से ओझल ही है.

केपीएमजी और गूगल के मुताबिक वर्ष 2011 में भारतीय भाषाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करनेवालों की संख्या 4 करोड़ 20 लाख थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 23 करोड़ 40 लाख हो गयी, और वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 53 करोड़ 60 लाख हो जायेगी. साथ ही वर्तमान में करीब 96 प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल के माध्यम से करते हैं. किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और कार्यकर्ताओं के लिए जहां मास मीडिया आपसी संवाद का एक माध्यम होता है, वहीं पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर में सोशल मीडिया एक-दूसरे से संवाद करने के साथ-साथ चुनावी रणनीति का हथियार भी बनकर उभरा है. चुनावों के दौरान हर बड़ी-छोटी राजनीतिक पार्टियों के अपने 'वार रूम' होते हैं, जहां से मीडिया पर निगाह रखी जाती है और इन्हें प्रभावित करने की कोशिश होती है, ताकि अपने एजेंडे को लागू किया जा सके.

देश दुनिया से

डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू का प्रेम

आप उन्हें जो चाहे कहें, लेकिन इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा दूसरा ऐसा कौन नेता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दो सफल शिखर सम्मेलन का अयोजन कर सकता है? और वह भी इस्राइली चुनाव के कुछ महीने पहले. उनके तात्कालिक उद्देश्य स्पष्ट हैं, लेकिन चुनावी लाभ के लिए कूटनीति के बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल से परे यह सम्मेलन कुछ और भी है. असल में इसके पीछे इस शक्तिशाली राजनेता के वृहद् रणनीतिक निहितार्थ छुपे हैं. यहां प्रश्न यह है कि राजनीतिक चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे इस नेता ने विश्व की महाशक्तियों को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए राजी कैसे कर लिया? तो इसका उत्तर उस प्रेम में निहित है, जो कुछ समय से फल-फूल रहा है. यह सब कुछ सितंबर 2016 में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बाद शुरू हुआ. जिसमें नेतन्याहू ने ट्रंप को अमेरिका-इस्राइल संबंधों की महत्ता के बारे में समझाया था. लेखक विकी वार्ड की मानें, तो नेतन्याहू ने ही ट्रंप से विनती की थी कि वे रूस के साथ अपने संबंध सुधारें. दरअसल ये तीनों एक-दूसरे को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी सोच एक जैसी है.

मारवन बिशारा

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है